न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/49/2022	2022/115	04.03.2022	26.03.2024

1. गोपाल पुत्र कजोड जाति मीना उम्र 80 साल निवासी डाबला मीना, तहसील राजगढ, जिला अलवर।

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 17.02.2022 तहसीलदार राजगढ प्रकरण संख्या 101/2022 ।

उपस्थितः–

01. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल –वकील अपीलाण्ट

02. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 17.02.2022 प्रकरण संख्या 101/2022 जिसके द्वारा संवत 2078 में ग्राम डाबला मेव की आराजी खसरा न0 347 रकबा 0.37 है0 अतिक्रमित रकबा 0.07 एवं आराजी खसरा न0 348 रकबा 0.35 अतिक्रमित रकबा 0.05 है0 किस्म चारागाह में से अतिक्रमित रकबे पर चना की फसल काश्त करने पर बेदखली की कार्यवाही, पैनल्टी कायम एवं 03 माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान वकील अपीलान्ट श्री उमाशंकर खण्डेलवाल ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम डाबला मेव की सरकारी आराजी खसरा न0 क्रमश 347 रकबा 0.37 है0 अतिक्रमित रकबा 0.07 एवं आराजी खसरा न0 348 रकबा 0.35 अतिक्रमित रकबा 0.05 है0 किस्म चारागाह में से अतिक्रमित रकबे पर अपीलान्ट द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर चना की फसल काश्त कर रबी संवत 2078 में अतिक्रमण कर लिया है। जिस रिपोर्ट पर तहसीलदार राजगढ़ ने अपीलाण्ट के विरूद्ध नोटिस जारी किया। जिस नोटिस पर अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश कर कथन किय कि उक्त आराजी पर प्रार्थी ने कोई काश्त नहीं की है और ना ही वर्तमान में कोई काश्त होना बताया गया है। उक्त फसल से प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी 80 साल का वृद्ध व्यक्ति है, इसलिए काश्त करने में सक्षम नहीं है। नोटिस की कार्यवाही समाप्त की जावे। जिस पर तहसीलदार ने गौर कर पटवारी हल्का व गिरदावर कानूनगो से मौके की

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

रिपोर्ट तलब की, जिन्होंने रिपोर्ट में अतिकमी द्वारा जोत लगाकर मौके पर नष्ट किया जाना बताया। पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास, बेदखल किये जाने व 50 रूपये की पेनल्टी लगाये जाने का निर्णय दिया। जिस निर्णय के विरूद्ध अपील पेश की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को धारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 91(3) के तहत 7 दिवस में हटाने का नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना पटवारी हल्का द्वारा मौके की रिपोर्ट से प्रमाणित है, परंतु इसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया जो विधिविरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिकमण का कोई नोटिस नहीं दिया गया ना ही अपीलाण्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर दिया गया और ना ही पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने एस.एच.ओ. राजगढ़ को गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने का आदेश दिया गया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

वकील अपीलाण्ट द्वारा अपील में प्रस्तुत कथनों के अलावा लिखित बहस में निवेदन किया गया है कि पटवारी हल्का ने आराजी खसरा नंबर 347 व 348 में फसल रबी में चने की फसल काश्त कर अतिकमण करना बताया गया है। अपीलाण्ट ने जवाब पेश किया कि प्रार्थी का कब्जा नहीं है और ना ही फसल चना बोई है। इस पर भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में मौके पर फसल नष्ट होना/जोत लगाना बताया है जिससे प्रार्थी के कथन की ताईद होती है। नोटिस में भी कब्जा हटाने का तथ्य दर्ज किया गया है। जबकि प्रार्थी का कब्जा ही नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी पुनः अतिकमी किया गया है। जो शब्द बाद में बढाये गये है। पश्चातवर्ती अतिकमण के संबंध में पूर्व निर्णय की प्रति व घटना बही पेश होना आवश्यक है। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णयों 1996 आर.आर.डी. 480, 1996 आर.आर.डी. 585 एवं 2001 आर.आर.डी. 401 में इस संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किया है। घटना बही की प्रस्तुत नकल में अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं है ना ही खसरा नंबर 347 व 348 दर्ज है। ऐसी स्थिति में घटना बही की नकल से कोई अतिकमण सिद्ध नहीं होता है। अपीलाण्ट को जारी नोटिस पश्चात्वर्ती अतिकमण बाबत् नहीं है। 1996 आर.आर.डी. 480 में यह सिद्धांत दिया है कि नोटिस में फॉल्ट का विवरण दर्ज होना आवश्यक है। तहसीलदार राजगढ़ का निर्णय कानून के सर्वथा विपरीत है। भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई गौर नहीं किया गया। नोटिस में कब्जा हटाना बताया है। मौके पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं है तथा अपीलाण्ट की उम्र 80 वर्ष है जो कि काश्त करने में सक्षम नहीं है। अतः निवेदन किया कि उक्त बिंदुओं पर गौर किया जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार राजगढ़ का निर्णय दिनांक 17.02.2022 निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात एवं बहस वकील अपीलान्ट पर अवलोकन एवं चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 28.01.2022 का अपीलान्ट द्वारा जबाव दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 28.01.2022 संवत 2078 के अनुसार वाके ग्राम डाबला मेव के आराजी खसरा न0 347 रकबा 0.37 है0 किस्म बारानी–2 एवं खसरा नंबर 348 रकबा 0.35 है0 किस्म बारानी–2 में से क्रमशः अतिक्रमित रकबा 0.07 है0 एंव 0.05 है0 कुल अतिक्रमित रकबा 0.12 है0 में फसल चना काश्त कर एवं जोत लगाकर अतिकमी द्वारा पुनः अतिक्रमण किया गया है साथ ही पटवारी हल्का के बयान गवाह में भी दैनिक डायरी दिनांक 09.02.2021 को अपीलान्ट को बेदखल किया जाना बताया है। तहसीलदार द्वारा भी अपने निर्णय में पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की दैनिक डायरी दिनांक 09.06.2021 के अनुसार अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है किन्तु दैनिक डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 09.06.2021 में उक्त विवादित खसरा न0 अंकित नहीं हैं और न ही अपीलान्ट का नाम अंकित

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

है। तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानना उचित नहीं है। प्रार्थी को विधिवत सुनवाई के अभाव में एक पक्षीय बहस पर सजा दी गई है। साथ ही पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 16.02.2022 में भी अंकित है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.02.2022 से पूर्व ही अपीलान्ट द्वारा किया हुआ अतिक्रमण हटा लिया गया एवं न्यायालय हाजा में भी अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपीलाधीन आराजी वाके ग्राम डावला मेव तहसील राजगढ पर कब्जा होना नही बताया है। अपीलान्ट द्वारा भविष्य में भी उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं किये जाने की शपथ की है। अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ के निर्णय दिनांक 17.02.2022 को सजा की हद तक निरस्त किया जाता है तथा शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)